UPSH050010982024

न्यायालय: सिविल जज (सी०डि०), शाहजहाँपुर।

उपस्थित– श्रीमती प्रियंका सिंह .....उ.प्र. न्यायिक सेवा,

(J.O. Code- UP2082)

दीवानी वाद सं०– 740/2024

सूरज वर्मा उम्र करीब 24 साल पुत्र प्यारे लाल निवासी सुभाष नगर कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस के पास तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर।

.....वादी

बनाम

आंचल वर्मा उम्र करीब 22 साल पुत्री प्यारे लाल निवासी सुभाष नगर कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस के पास, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर।

.....प्रतिवादिनी

निर्णय

1– प्रश्नगत मूलवाद, वादी द्वारा प्रतिवादिनी के विरूद्ध घोषणात्मक आज्ञप्ति के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है।

2– संक्षेप में वादी का कथन है कि वादी की माता श्रीमती माया देवी पत्नी स्व० प्यारे लाल निवासी मोहल्ला महमंद जलालनगर, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर ने अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति की वसीयत वादी के हक में कर दी थी। वादी के हक में समस्त चल व अचल संपत्ति की नोटरीशुदा वसीयत वादी की माता श्रीमती माया देवी ने दिनांक 28.08.2024 को कचहरी शाहजहाँपुर में कर दी थी और वादी की माता का इंतेकाल दिनांक 14.10.2024 को हो गया। वादी की माता द्वारा समस्त चल व अचल संपत्ति की वसीयत पर प्रतिवादिनी की नियत बद हो गई है। जो वादी बहन है। वादी की समस्त चल व अचल संपत्ति पर प्रतिवादिनी की नियत खराब हो गयी है और उक्त आराजी पर प्रतिवादिनी अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहती हैं, जबकि समस्त चल व अचल संपत्ति की वसीयत वादी के हक में उसकी माता कर चुकी है। वादी द्वारा समस्त चल व अचल संपत्ति के मामले में प्रतिवादिनी से कई लोगों को बीच में डाल कर कई बार बातचीत व पंचायत की, लेकिन प्रतिवादिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और समस्त चल व अचल संपत्ति पर

Digitally signed by PRIYANKA SINGH
Date: 2026.08.17 16:11:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नाजायज कब्जा असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर करना चाहती है और बेचना चाहती हैं। वादी द्वारा समस्त चल व अचल संपत्ति की आखिरी बार पंचायत व बातचीत प्रतिवादिनी से दिनांक 01.12.2024 को हुई थी जिसमें प्रतिवादिनी ने साफ तौर से इंकार कर दिया और वादी से कहा की तुमसे जो बन पड़े कर लो, मैं तो समस्त चल व अचल संपत्ति पर कब्जा लेकर ही रहूँगी।

3. वादी द्वारा याचना की गयी है कि माननीय न्यायालय के हक में वादी की मृतक माता की समस्त चल व अचल संपत्ति की घोषणा का आदेश पारित करके डिक्री बनाई जाये।

4. वादपत्र के विरूद्ध प्रतिवादिनी द्वारा जवाबदावा कागज सं0 13क प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया है कि प्रतिवादिनी वादी की बहन है और उपरोक्त मामले में किसी प्रकार का कोई भी एतराज बाबत समस्त चल व अचल संपत्ति जो वसीयत वादी व प्रतिवादिनी की स्व० माता माया देवी पत्नी स्व० प्यारेलाल द्वारा वादी के हक में बजरिए नोटरी दिनांक 28.08.2024 में कर दी गई थी, जिस पर प्रतिवादिनी को अब कोई एतराज नहीं है। इससे पूर्व रिश्तेदारों व अन्य लोगों के बहकावे में आकर प्रतिवादिनी वादी के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतिवादिनी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती है। प्रतिवादिनी को समस्त चल व अचल संपत्ति की वसीयत जो वादी को दिनांक 28.08.2024 को कचहरी शाहजहांपुर में की गई थी, प्रतिवादिनी को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है।

5. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पत्रावली पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः–

1. क्या वादी वादपत्र में अभिकथित तथ्यों के आधार पर विवादित संपत्ति की वसीयत दिनांकित 28.08.2024 के आधार पर स्व० श्रीमती माया देवी द्वारा छोड़ी गयी समस्त चल व अचल संपत्ति, के संदर्भ में घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त कर पाने का अधिकारी है?

2. क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

3. क्या दावा वादी अल्प मूल्यांकित है?

4. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

साक्ष्य

6. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में फेहरिस्त सूची 8ग के माध्यम से वसीयतनामा दिनांकित 28.08.2024 की छायाप्रति कागज सं० 9ग/1 लगायत 9ग/5, आधार कार्ड की छायाप्रति कागज सं० 10ग/1 लगायत 10ग/4 एवं फेहरिस्त सूची कागज सं० 26ग के माध्यम से मूल वसीयतनामा नोटरी दिनांकित 28.08.2024 कागज सं०

27ग/1 लगायत 27ग/8, खतौनी गाटा सं० 983/136 की सत्य छायाप्रति कागज सं० 28ग, मूल बैनामा दिनांकित 21.05.2008 कागज सं० 29क, नगर निगम शाहजहांपुर के जलकर व गृहकर रसीद कागज सं० 30ग/1 लगायत 30ग/2 तथा फेहरिस्त सूची 37ग के माध्यम से एक किता मूल बैनामा दिनांकित 17.08.2020 व मूल बैनामा दिनांकित 17.10.2020 कागज सं0 39क को दाखिल किया गया है

7. मौखिक साक्ष्यों में वादी की ओर से पी०डब्ल्यू०–1 के रूप में स्वयं वादी सूरज वर्मा को, पी०डब्ल्यू०–2 के रूप में शिवम कुमार को, प्रेमपाल को पी०डब्ल्यू०–3, शुभम सोनी को पी0डब्लू0 04 व प्रेमपाल को पी0डब्लू0 05 के रूप में परीक्षित कराया है, जिन्होंने अपनी–अपनी मुख्य परीक्षा जरिये शपथ पत्र कागज सं० 17क लगायत 19क व 33क लगायत 35क प्रस्तुत किया है।

8. प्रतिवादिनी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्यों के रूप में कोई भी प्रपत्र दाखिल नही किये हैं।

9. मौखिक साक्ष्यों में प्रतिवादिनी की ओर से डी०डब्ल्यू०–1 के रूप में प्रतिवादिनी आंचल वर्मा को, डी०डब्ल्यू०–2 के रूप में राधे को व अंश वर्मा को डी०डब्ल्यू० 3 के रूप में परीक्षित कराया है, जिन्होंने अपनी–अपनी मुख्य परीक्षा जरिये शपथ पत्र कागज सं० 22क लगायत 24क प्रस्तुत किया है।

10. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की तर्कपूर्ण बहस को सविस्तार सुना तथा पत्रावली का सम्यक अध्ययन एवं गहन परिशीलन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1–

11. वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया है किः– **क्या वादी वादपत्र में अभिकथित तथ्यों के आधार पर विवादित संपत्ति की वसीयत दिनांकित 28.08.2024 के आधार पर स्व० श्रीमती माया देवी द्वारा छोड़ी गयी समस्त चल व अचल संपत्ति के संदर्भ में घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त कर पाने का अधिकारी है?**

12. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उसकी माता की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होने की बाबत घोषणात्मक आज्ञप्ति का अनुतोष प्रतिवादिनी के विरूद्ध याचित किया गया है।

13. **<u>भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101</u>** के अन्तर्गत किसी भी अभिकथन को साबित करने का भार कथन करने वाले पक्षकार पर ही होता है। उपरोक्त वाद बिन्दु को साबित करने

का भार वादी पर है। जिस सम्बंध में वादी का कथन है कि वादी की माता श्रीमती माया देवी पत्नी स्व० प्यारे लाल ने अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति की वसीयत वादी के हक में कर दी थी। वादी के हक में समस्त चल व अचल संपत्ति की नोटरीशुदा वसीयत वादी की माता श्रीमती माया देवी ने दिनांक 28.08.2024 को कचहरी शाहजहाँपुर में कर दी थी और वादी की माता का इंतेकाल दिनांक 14.10.2024 को हो गया। वादी की समस्त चल व अचल संपत्ति पर प्रतिवादिनी की नियत खराब हो गयी है और उक्त आराजी पर प्रतिवादिनी अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर नाजायज तरीके से कब्जा करना चाहती हैं, जबकि समस्त चल व अचल संपत्ति की वसीयत वादी के हक में उसकी माता कर चुकी है। वादी द्वारा किये गये उपरोक्त तर्क के सम्बंध में प्रतिवादिनी का कथन है कि वह वादी की बहन है और उपरोक्त मामले में किसी प्रकार का कोई भी एतराज बाबत समस्त चल व अचल संपत्ति जो वसीयत वादी व प्रतिवादिनी की स्व० माता माया देवी पत्नी स्व० प्यारेलाल द्वारा वादी के हक में बजरिए नोटरी दिनांक 28.08.2024 में कर दी गई थी, जिस पर प्रतिवादिनी को अब कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादिनी को समस्त चल व अचल संपत्ति की वसीयत जो वादी को दिनांक 28.08.2024 को कचहरी शाहजहांपुर में की गई थी, प्रतिवादिनी को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है।

14. वादी द्वारा अपने कथनो को सिद्ध करने हेतु मूल वसीयतनामा नोटरी दिनांकित 28.08.2024 कागज सं० 27ग/1 लगायत 27ग/8, खतौनी गाटा सं० 983/136 की सत्य छायाप्रति कागज सं० 28ग, मूल बैनामा दिनांकित 21.05.2008 कागज सं० 29क, नगर निगम शाहजहांपुर के जलकर व गृहकर रसीद कागज सं० 30ग/1 लगायत 30ग/2 तथा फेहरिस्त सूची 37ग के माध्यम से एक किता मूल बैनामा दिनांकित 17.08.2020 व मूल बैनामा दिनांकित 17.10.2020 कागज सं0 39क को दाखिल किया गया है। वसीयतनामा दिनांकित 28.08.2024 के अवलोकन से विदित है कि उक्त वसीयतनामा एक नोटराईज्ड वसीयत है एवं इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वसीयतकर्ता श्रीमती माया देवी की मृत्यु उपरांत उसका मकान मय आराजी जो उसने श्रीमती मुन्नी देवी से जरिए पंजीकृत बैनामा कुल रकबा 206.49 वर्ग मीटर व दूसरी आराजी श्री राधे से दिनाक 17–08–2020 को जरिए पंजीकृत बैनामा कुल रकबा 0.558 हे० स्थित ग्राम जलालनगर व एक किता आराजी काश्त श्री ओम प्रकाश पुत्र घासी से दिनाक 17–10–2020 को जरिए पंजीकृत बैनामा गाटा संख्या 136 तादादी कुल रकबा 1.3190 हे० का 1/5 भाग यानी 0.2638 हे० स्थित ग्राम दुरगिया बहादुरपुर परगना व तहसील सदर जिला शाहजहांपुर, बैंक या डाकखाने में रुपया आदि का उसकी उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का तन्हा मालिक सूरज वर्मा पुत्र प्यारे लाल होगा उसकी उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति पर अन्य रिश्तेदार का

कोई हक व हिस्सा मेरी किसी भी सम्पत्ति पर नही होगा। वादी द्वारा वसीयतनामा मे वर्णित सम्पत्ति के तीन किता मूल पंजीकृत बैनामा दिनांकित 21.05.2008, 17.08.2020 व 17.10.2020 को प्रस्तुत किया है। जिनके अवलोकन से विदित है कि वादी की माता अर्थात वसीयतकर्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को जरिए पंजीकृत बैनामा क्रय किया गया है तथा वह बैनामा में वर्णित सम्पत्ति की मालिक, काबिज व दखल है। नगर निगम शाहजहांपुर के अभिलेखों में भी वादी की माता का नाम दर्ज चला आ रहा है।

15. वसीयत को साबित करने के सम्बंध में यह स्थापित सिद्धांत है कि वसीयत को उस व्यक्ति द्वारा साबित किया जायेगा, जो वसीयत के आधार पर अधिकार का दावा कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **ललिताबेन जैयन्तीलाल पोपट बनाम प्रागनाबेन जमुनादास कटारिया एवं अन्य सिविल अपील सं0 7434 वर्ष 2008** में अवधारित किया गया है कि विधिमान्य वसीयत के सबूत से सम्बंधित विधि अव सुस्थापित है। इसे न केवल निष्पादक के हस्ताक्षर द्वारा साबित किया जाना है बल्कि इसे किसी संदिग्ध परिस्थितियों से मुक्त होना पाया जाना चाहिए। **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(ग)** निम्न प्रकार पठित हैः–

16. वसीयत को ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा, जिसमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को विल पर हस्ताक्षर करते हुए या चिन्ह लगाते हुए देखा है या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को विल पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है, और प्रत्येक साक्षी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में विल पर हस्ताक्षर करेगा किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपस्थित हो और अनुप्रमाणन का कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं होगा।'' अविवादस्पद रूप से उक्त प्रावधान प्रकृति में आज्ञापक है। वसीयत को दो या अधिक साक्षियों द्वारा प्रमाणित किये जाने की उपेक्षा की जाती है।

17. **साक्ष्य अधिनियम की धारा 68** प्रावधान करती है कि प्रतिपादक को अनुप्रमाणक साक्षियों में से कम से कम एक ही परीक्षा करके वसीयत के निष्पादन और अनुप्रमाणन को साबित करना चाहिए। यदि किसी दस्तावेज को विधि द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है, तो उसे साक्ष्य के रूप में तब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम एक गवाह को उसके निष्पादन को सिद्ध करने के लिए न बुलाया जाए, यदि कोई गवाह जीवित हो, न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन हो और साक्ष्य देने में सक्षम होः बशर्ते कि किसी भी दस्तावेज के निष्पादन को सिद्ध करने के लिए किसी गवाह को बुलाना आवश्यक नहीं होगा, जो वसीयत न हो और

जिसे भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 ऑफ 1908) के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत किया गया हो, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा उसके निष्पादन से स्पष्ट रूप से इनकार न किया गया हो जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया गया हो।

18. उक्त के संदर्भ में वादी द्वारा वसीयतनामा दिनांकित 28.08.2024 के दोनो गवाह शुभम सोनी व प्रेमपाल को पत्रावली को पत्रावली पर जरिए साक्ष्य शपथ पत्र परीक्षित कराया है। वसीयत के प्रथम गवाह शुभम सोनी ने अपनी मुख्य परीक्षा जरिए साक्ष्य शपथ पत्र में कथन किया है कि श्रीमती माया देवी द्वारा सूरज वर्मा के हक में की गई वसीयत दिनांकित 28.08. 2024 जिसकी नोटरी भी दिनांक 28.08.2024 को हुई थी, उस वसीयत नामे मे गवाह नं0 –1 है और वसीयत नामे पर बिना किसी जोर दबाव के अपने दस्तखत भी बनाये और वसीयत नामा उसके सामने तहरीर किया गया था। उपरोक्त वाद के वादी की माता श्रीमती माया देवी ने अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति की वसीयत वादी के हक मे कर दी थी। उपरोक्त वाद के वादी के हक मे समस्त चल व अचल संपत्ति की नोटरीशुदा वसीयत माता श्रीमती माया देवी ने दिनांक 28.08.2024 को कचहरी शाहजहाँपुर मे कर की थी और वादी की माता का इंतेकाल दिनांक 14.10.2024 को हो गया। वाद कथानक के समर्थन में उक्त साक्षी द्वारा किये गये उपरोक्त कथन को वसीयतनामा के द्वितीय साक्षी प्रेमपाल ने भी अपनी मुख्य परीक्षा जरिए साक्ष्य शपथ में दोहराते हुए वसीयतनामा की प्रमाणिकता को स्वीकार किया है।

19. पत्रावली पर दाखिल वसीयतनामा दिनांकित 28.08.2024 के अनुसार वादी की माता श्रीमती माया देवी ने अपनी मृत्यु के पश्चात उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी अपनी पुत्र अर्थात वादी को होना उल्लिखित किया है। वसीयत के सम्बंध में यह स्पष्ट तथ्य है कि वसीयत उसके निष्पादन के दिनांक से नहीं वरन वसीयतकर्ता की मृत्यु के दिनांक से प्रभावी मानी जाती है इसका अर्थ है कि वादी, प्रतिवादिनी व उनकी ओर से परीक्षित साक्षीगण के कथनानुसार वादी की माता की मृत्यु दिनांक 14.10.20245 को अभिकथित किया गया है अर्थात वसीयतकर्ता माया देवी की मृत्यु की दिनांक 14.10.2024 से प्रश्नगत वसीयत प्रभावी हुई। यह वसीयत एक नोटराईज्ड दस्तावेज है, जिसे किसी भी अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से निरस्त नही किया गया है, जो कि वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है। प्रतिवादिनी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में वसीयनामा दिनांकित 28.08.2024 से इंकार नहीं किया गया है, अपितु अपने प्रतिवाद पत्र में वादी के निष्पादित वसीयत को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षीगण ने भी अपनी मुख्य परीक्षा जरिए साक्ष्य शपथ में वाद कथानक का समर्थन करते हुए वादी की माता श्रीमती माया देवी द्वारा अपनी समस्त चल व

अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में किये जाने का कथन किया है। ऐसे में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्य एवं बयानो से स्पष्ट है कि वादी अपनी माता स्व0 माया देवी द्वारा की गयी वसीयतनामा दिनांकित 28.08.2024 के आधार पर अपनी माता की मृत्यु उपरांत छोड़ी गयी उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का विधिक उत्तराधिकारी है। प्रतिवादिनी द्वारा वादी के कथनो का खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में स्वीकृत अभिकथन होने के कारण उनकी प्रकृति प्रश्नगत वाद के परिप्रेक्ष्य में अखण्डनीय हो जाती है। वादी ने अपने कथनों को प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्यों से साबित किया है। प्रतिवादिनी साक्षी द्वारा वादी के कथनों का समर्थन किया है। अतः ऐसी स्थिति में वाद बिन्दु संख्या 1 वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं.–2 व 3:–</u>

20. यह वाद बिन्दु इस आशय के विरचित किये गये है कि **क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है? एवं क्या दावा वादी अल्प मूल्यांकित है?**

21. यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिकथनों पर आधारित है। इन वाद बिंदुओ का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2025 को किया जा चुका है जोकि निर्णय का अंश होगे।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4–</u>

22. यह वाद बिन्दु इस आशय से विरचित किया गया है कि **क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?**

23. यह वाद बिन्दु अनुतोष से सम्बंधित है। इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। उल्लेखनीय है कि वाद बिन्दु संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णीत किया जा चुका है। वादी घोषणात्मक आज्ञप्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 4 निस्तारित किया जाता है।

24. उपरोक्त विश्लेषण के आधार न्यायालय का यह अभिमत है कि वादी अपना वाद साबित करने में पूर्णतः सफल रहा हैं। तदनुसार दावा वादी सव्यय आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दावा वादी आज्ञप्त किया जाता है तथा घोषणात्मक आज्ञप्ति इस आशय की पारित की जाती है कि वादी अपनी माता स्व0 श्रीमती माया देवी द्वारा की गयी वसीयतनामा दिनांकित

28.08.2024 के आधार पर उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति का विधिक उत्तराधिकारी है। पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक–17–08–2026

(प्रियंका सिंह),
सिविल जज (सीनियर डिविजन),
शाहजहाँपुर।
(J.O. Code- UP2082)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके पढ़कर सुनाया गया।

दिनांक–17–08–2026

(प्रियंका सिंह),
सिविल जज (सीनियर डिविजन),
शाहजहाँपुर।
(J.O. Code- UP2082)